



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1703]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2014/भाद्र 7, 1936

No. 1703]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2014/BHADRA 7, 1936

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

का.आ. 2181 (अ).- भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984(1984 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (3) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, तथा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) के दिनांक 1 मार्च 2011, के भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के का.आ.466(अ) में प्रकाशित अधिसूचना के अधिक्रमण में, सिवाय ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों अथवा करने के लिए लोप किए गए कार्यों को छोड़कर, केन्द्र सरकार भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के सदस्य के रूप में इस अधिसूचना की सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित नामित व्यक्तियों के नाम अधिसूचित करती है, नामतः-

केन्द्र सरकार द्वारा धारा 3 की उप-धारा (3) की खंड (क) के तहत नामित सदस्य		
1	डॉ० अनंत देवेश काछिया पटेल, निर्देशक, पशुपालन विभाग, गुजरात सरकार, गांधीनगर (गुजरात)	सदस्य
2	डॉ० राजेंद्र कुमार रोकड़े, निर्देशक, पशुपालन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल (मध्य प्रदेश)	सदस्य
3	डॉ० एस. के. पांडे, निर्देशक, पशुपालन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर (छत्तीसगढ़)	सदस्य
4	डॉ० रुद्र प्रताप सिंह, निर्देशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	सदस्य
5	डॉ० जी. एस. जाखड़, निर्देशक, पशुपालन विभाग, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ (हरियाणा)	सदस्य

